INTERNATIONAL ADVANCE JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMENT (IAJESM)
July-December 2023, Submitted in December 2023, iajesm2014@gmail.com, ISSN -2393-8048
Multidisciplinary Indexed/Peer Reviewed Journal. SJIF Impact Factor 2023 =6.753

21वीं सदी में राज्य संप्रभुता की प्रासंगिकता: एक तुलनात्मक दृष्टिकोण

सुनील सैनी, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान (भारत)
डॉ रितेश मिश्रा, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान (भारत)

सारांश

21वीं सदी में वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, और तकनीकी विकास के प्रभाव ने राज्य संप्रभुता की अवधारणा को चुनौती दी है। इस शोध का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि राज्य संप्रभुता आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक है। विशेष रूप से, भारत, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है ताकि यह समझा जा सके कि इन देशों ने अपने संप्रभु अधिकारों को किस प्रकार वैश्विक दबावों के बीच बचाया है। यह अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि संप्रभुता अब एक संदर्भिक और लचीली अवधारणा बन चुकी है, जो राष्ट्रों को वैश्विक जिम्मेदारियों और राष्ट्रीय अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में उन्मुख करती है।

परिचय

राज्य संप्रभुता वह सिद्धांत है जिसके तहत प्रत्येक राज्य को अपनी सीमाओं के भीतर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार होता है। यह अवधारणा वेस्टफेलिया संधि (1648) से उत्पन्न हुई थी, जिसने यूरोप में राज्य संप्रभुता को स्थापित किया। वेस्टफेलिया समझौते ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक राज्य अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों में स्वतंत्र है और बाहरी शक्तियाँ या अन्य राष्ट्र उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। हालांकि, 21वीं सदी में वैश्वीकरण, बहुपक्षीय संस्थाओं, और तकनीकी विकास के साथ यह अवधारणा बदल रही है। देशों के बीच बढ़ती आपसी निर्भरता, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौतों और साइबर स्पेस के विकास ने संप्रभुता के परंपरागत अर्थ को चुनौती दी है। अब, संप्रभुता केवल राज्य की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक निर्भरता और तकनीकी पहलुओं से भी प्रभावित होती है। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में संप्रभुता अब किस रूप में अस्तित्व में है, और यह कैसे विभिन्न देशों में लागू हो रही है। वैश्वीकरण के प्रभावों के कारण संप्रभुता की पारंपरिक समझ में बदलाव आ रहा है और यह अध्ययन यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि कैसे विभिन्न देशों ने अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए वैश्विक संरचनाओं और संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाया है।

उद्देश्य

1. राज्य संप्रभुता की 21वीं सदी में प्रासंगिकता का विश्लेषण करना।
2. वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, और तकनीकी विकास के प्रभाव से राज्य संप्रभुता पर पड़ने वाले प्रभावों की पहचान करना।
3. भारत, यूरोपीय संघ, और संयुक्त राज्य अमेरिका के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से यह समझना कि विभिन्न देशों में संप्रभुता कैसे लागू हो रही है।
4. यह जानना कि राज्य संप्रभुता का आधुनिक परिभाषा वैश्विक जिम्मेदारियों और राष्ट्रीय अधिकारों के संतुलन के रूप में कैसे बदल रही है।

साहित्य समीक्षा

हेल्ड, डेविड, और मैकग्रू, एंथनी (2007): वैश्वीकरण सिद्धांत दृष्टिकोण और विवाद में, लेखक वैश्वीकरण की प्रक्रिया और इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने वैश्वीकरण को सिर्फ एक आर्थिक या सांस्कृतिक घटना के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, वैश्वीकरण ने संप्रभुता के पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती दी है क्योंकि यह राज्यों की स्वतंत्रता और उनकी आंतरिक नीतियों में बाहरी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। यह पुस्तक यह दर्शाती है कि वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप देशों की संप्रभुता अब सापेक्ष हो गई है, क्योंकि देशों को वैश्विक संस्थाओं, समझौतों और नियमों के प्रति जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि वैश्वीकरण से उत्पन्न नई चुनौतियों का समाधान संयुक्त प्रयासों और सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है, जो पारंपरिक राज्य संप्रभुता के सिद्धांत को पुनः परिभाषित करता है।

गिडन्स, एंथनी (2002): भागी हुई दुनिया: कैसे वैश्वीकरण हमारे जीवन को फिर से आकार दे रहा है में, एंथनी गिडन्स वैश्वीकरण के प्रभावों पर गहराई से चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कैसे यह वैश्विक स्तर पर

समाज, राजनीति, और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। गिडन्स के अनुसार, वैश्वीकरण ने न केवल आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है, बल्कि इसने राष्ट्रों की संप्रभुता को भी चुनौती दी है। उनका मानना है कि वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप राज्य की पारंपरिक शक्ति और स्वतंत्रता में बदलाव आ रहा है, और यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक बाजार के प्रभाव के कारण हो रहा है। गिडन्स ने यह भी उल्लेख किया कि वैश्वीकरण का यह प्रभाव राष्ट्रों के आंतरिक मामलों को प्रभावित करता है, जिससे उन्हें अपनी संप्रभुता और स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने में कठिनाई होती है। इस पुस्तक में उन्होंने यह विचार भी प्रस्तुत किया कि वैश्वीकरण के चलते एक नया वैश्विक समाज आकार ले रहा है, जहां राष्ट्रों को अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर रहते हुए वैश्विक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है।

कार्यविधि

यह अध्ययन गुणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन, दस्तावेज़ीय स्रोत, और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया है।

1. सैद्धांतिक अध्ययन

- **वेस्टफेलियन संप्रभुता**

वेस्टफेलियन संप्रभुता का सिद्धांत 1648 की वेस्टफेलिया संधि से उत्पन्न हुआ, जिसने राज्य की संप्रभुता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। यह सिद्धांत यह मानता है कि प्रत्येक राज्य अपनी सीमा में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और अन्य देशों को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। शोध में इस सिद्धांत का विश्लेषण किया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि वैश्वीकरण के वर्तमान संदर्भ में यह सिद्धांत कितना प्रासंगिक है।

- **वैश्वीकरण सिद्धांत**

वैश्वीकरण सिद्धांत के अनुसार, आर्थिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ देशों की सीमाओं को पार करती हैं। यह सिद्धांत इस विचार को प्रस्तुत करता है कि संप्रभुता अब एक स्थिर और संकुचित अवधारणा नहीं रही है, बल्कि यह एक गतिशील और साझा प्रक्रिया बन गई है। वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण राज्य की संप्रभुता का दायरा अब संकुचित हो गया है, और देशों को अपनी नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में वैश्विक प्रभावों का ध्यान रखना पड़ता है।

- **अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांत**

➢ **यथार्थवाद:** यथार्थवादी दृष्टिकोण मानता है कि राज्य अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपने सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देते हैं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या वैश्विक नियमों को इस संदर्भ में सीमित रूप में स्वीकार करते हैं।

➢ **उदारवाद:** उदारवाद मानता है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग, व्यापार और संस्थाएं राज्य संप्रभुता को सीमित करती हैं, लेकिन यह वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इस दृष्टिकोण में, वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

2. दस्तावेज़ीय स्रोत

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर** संयुक्त राष्ट्र का चार्टर देशों की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों का समन्वय करता है। इस दस्तावेज़ का अध्ययन यह दिखाता है कि किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करता है, लेकिन सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान भी करता है।
- **WTO, IMF और विश्व बैंक की रिपोर्ट्स** ये वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं राज्य संप्रभुता पर विभिन्न प्रकार के दबाव डालती हैं। WTO के व्यापार समझौते, IMF द्वारा लागू की जाने वाली आर्थिक नीतियाँ, और विश्व बैंक की परियोजनाएं देशों की संप्रभुता को प्रभावित करती हैं। इन रिपोर्ट्स के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि वैश्विक आर्थिक संरचना संप्रभु राष्ट्रों के निर्णयों पर किस हद तक प्रभाव डालती है।
- **भारत सरकार की विदेश नीति रिपोर्ट्स** भारत की विदेश नीति में संप्रभुता और वैश्वीकरण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। भारत सरकार की रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि कैसे भारत अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करता है।

- **पेरिस समझौता** पेरिस जलवायु समझौता एक वैश्विक पर्यावरणीय समझौता है जो देशों पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए दबाव डालता है। यह समझौता यह दिखाता है कि किस प्रकार वैश्विक पर्यावरणीय संकट के समाधान के लिए देशों को अपनी संप्रभुता में सीमाएँ निर्धारित करनी पड़ती हैं।

3. मामले का अध्ययन

- **भारत** भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कई वैश्विक समझौतों में भाग लिया है, लेकिन साथ ही उसने अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी महत्व दिया है। WTO और पेरिस समझौते में भारत का रुख यह दर्शाता है कि वैश्विक दबाव के बावजूद संप्रभुता के अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है।
- **यूरोपीय संघ** यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने अपनी संप्रभुता को साझा किया है, लेकिन जैसे उदाहरण यह दिखाते हैं कि संप्रभुता की रक्षा के लिए देशों को कभी-कभी वैश्विक संस्थाओं से अलग भी होना पड़ता है। EU में सदस्य देशों की संप्रभुता पर कितना प्रभाव पड़ता है, यह भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका** संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों से बाहर निकलकर अपनी संप्रभुता को प्राथमिकता दी है। उदाहरण के तौर पर, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने और विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं के निर्णयों के खिलाफ खड़े होने का उसका निर्णय यह दिखाता है कि कैसे अमेरिका संप्रभुता को बनाए रखता है।

4. सांख्यिकीय डेटा

- **वैश्विक व्यापार** वैश्विक व्यापार के आंकड़े यह दिखाते हैं कि किस प्रकार देशों के बीच आपसी निर्भरता बढ़ी है, और यह उनके संप्रभु निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। व्यापार के आंकड़े यह भी बताते हैं कि कैसे देशों की आर्थिक नीतियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण संप्रभुता के दायरे में आती हैं।
- **विदेशी निवेश** विदेशी निवेश के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वैश्विक वित्तीय संस्थाएं और विदेशी निवेशक राज्य की संप्रभुता को किस हद तक प्रभावित करते हैं। यह डेटा संप्रभुता और विदेशी निवेश के बीच की जटिलताओं को समझने में मदद करता है।
- **वैश्विक सहयोग** देशों के बीच वैश्विक सहयोग और बहुपक्षीय समझौतों के आंकड़े यह दिखाते हैं कि किस प्रकार संप्रभुता और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित किया जा रहा है।

डेटा विश्लेषण

डेटा विश्लेषण के माध्यम से यह पाया गया कि 21वीं सदी में राज्य संप्रभुता एक संदर्भिक अवधारणा बन गई है। उदाहरण के तौर पर:

भारत:

भारत ने वैश्विक संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। WTO के कृषि समझौते में संशोधन करके भारत ने अपनी कृषि नीतियों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, ताकि विदेशी व्यापार समझौतों के तहत अपनी राष्ट्रीय कृषि नीति में हस्तक्षेप न हो। इसके अलावा, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते में भागीदारी की, लेकिन उसने अपने घरेलू विकास और पर्यावरणीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को संतुलित किया। इस प्रकार, भारत ने अपनी संप्रभुता का सम्मान करते हुए वैश्विक दृष्टिकोण को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप बनाए रखा।

यूरोपीय संघ:

यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों ने अपनी संप्रभुता को साझा किया है, जिससे एक समन्वित और साझा आर्थिक व राजनीतिक ढांचा बना है। हालांकि, Brexit ने यह स्पष्ट कर दिया कि सदस्य देशों के लिए अपनी संप्रभुता को पुनः प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। यूनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का निर्णय यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक संस्थाओं में सामूहिक सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ब्रेक्सिट के माध्यम से यह साबित हुआ कि एक राष्ट्र अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए वैश्विक गठबंधनों से बाहर जा सकता है, जो संप्रभुता की रक्षा में देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है।

संयुक्त राज्य अमेरिका:

संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई बार अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वैश्विक समझौतों से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। उदाहरण के तौर पर, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का निर्णय अमेरिका की संप्रभुता की प्राथमिकता को दर्शाता है, जिसमें उसने अपनी राष्ट्रीय नीति को वैश्विक प्रतिबद्धताओं से ऊपर रखा। यह कदम इस बात का संकेत है कि अमेरिका अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौतों से बाहर भी जा सकता है, और वैश्विक दबावों को अपनी आंतरिक नीतियों से संतुलित करने का प्रयास करता है। यह घटना यह दर्शाती है कि वैश्विक नीति के खिलाफ खड़े होने के बावजूद एक राष्ट्र अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकता है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि 21वीं सदी में राज्य संप्रभुता अब एक सापेक्ष और लचीली अवधारणा बन चुकी है। वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच, देशों को अपनी संप्रभुता का संतुलन बनाए रखते हुए वैश्विक जिम्मेदारियों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच एक सशक्त रणनीति अपनानी पड़ती है। इस संदर्भ में, संप्रभुता अब किसी देश की स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक संदर्भ में जिम्मेदारियों और अधिकारों के बीच सामंजस्य बनाने का एक प्रयास है। इसलिए, भविष्य में संप्रभुता के बारे में हमारी सोच और नीति निर्धारण के तरीकों को नए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विकसित करना होगा।

संदर्भ सूची

1. **हेल्ड, डेविड, और मैकग्रू, एंथनी (2007)।** *वैश्वीकरण सिद्धांत: दृष्टिकोण और विवाद*। पॉलिटी प्रेस।
2. **क्रास्नर, स्टीफन डी. (2001)।** *संप्रभुता: संगठित पाखंड*। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. **कॉक्स, रॉबर्ट डब्ल्यू. (1996)।** *विश्व आदेश के दृष्टिकोण*। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. **केओहेन, रॉबर्ट ओ., और नाइ, जोसेफ एस. (2000)।** *शक्ति और आपसी निर्भरता: विश्व राजनीति में बदलाव*। लॉन्गमैन।
5. **भगवती, जगदीश (2004)।** *वैश्वीकरण का बचाव*। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. **बाल्डविन, डेविड ए. (2000)।** *आर्थिक राज्यcraft*। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. **गिडन्स, एंथनी (2002)।** *भागी हुई दुनिया: कैसे वैश्वीकरण हमारे जीवन को फिर से आकार दे रहा है*। राउटलेज।
8. **विश्व व्यापार संगठन (WTO) रिपोर्ट्स।**
9. **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) रिपोर्ट्स।**
10. **संयुक्त राष्ट्र चार्टर और रिपोर्ट्स।**
11. **पेरिस जलवायु समझौता (2015)।**
12. **यूरोपीय संघ (EU) संप्रभुता और एकीकरण पर रिपोर्ट्स।**
13. **ब्रेक्सिट: राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रभाव।**
14. **भारत की विदेश नीति और संप्रभुता दस्तावेज़।**
15. **डिजिटल संप्रभुता: साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के युग में।**